मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2005 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 16 फरवरी, 2005 (माघ 27, 1926)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2002-2003 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री खनिज साधन, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड की 42 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2003-2004 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, प्रदेश के भिण्ड, मुरैना, श्योपुर सहित अन्य जिलों में सिंथेटिक दूध बनाकर बेचे जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रमेश सक्सेना, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम खाईखेड़ा एवं ग्यारसपुरा ग्रामों में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इछावर के क्षेत्रान्तर्गत कराये गये पौध रोपण कार्यों में अनियमितता होने की ओर नर्मदा घाटी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं का प्रस्तुति

(1) श्री रामदास उइके, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम रजाड़ा से पालाखेड़ तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ख) ग्राम पटपड़ा से मोरडोंगरी खुर्द तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ग) ग्राम मोहखेड़ से लोहांगी तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(घ) ग्राम पालाखेड़ से बैतूल रोड तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ड.) ग्राम कन्हरगांव में पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने,
(च) ग्राम चारगांव व बागदेव के मध्य नदी पर पुलिया बनाये जाने,
(छ) ग्राम पटपड़ा में माध्यमिक शाला खोले जाने, तथा
(ज) ग्राम लोहांगी में माध्यमिक शाला खोले जाने,

(2) श्री गोविंद सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम नांदनेर से मिड़वानी देवरी तक सड़क बनाये जाने,

(3) पं. रमेश दुबे, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम चांद से जमतरा तक पक्की सड़क बनाये जाने,
(ख) ग्राम बांदगांव में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण कराये जाने,
(ग) चौरई नगर में अनुविभागीय अधिकारी (जल संसाधन) का कार्यालय खोले जाने,
(घ) ग्राम रिंगनाला छानीघाट में जलाशय का निर्माण कराये जाने,
(ङ.) ग्राम नवेगांव मकरिया एवं चन्दनवाड़ा के मध्य जलाशय का निर्माण कराये जाने,
(च) ग्राम पिपरिया टांडा में जलाशय का निर्माण कराये जाने, तथा
(छ) ग्राम नीलकंठीकलां के पास जलाशय का निर्माण कराये जाने, एवं

(4) श्री गिरीश गौतम, सदस्य, रीवा जिले के मनगवां नगर को तहसील का दर्जा दिलाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री हिम्मत कोठारी, सदस्य द्वारा दिनांक 7 फरवरी, 2005 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.".

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 15 फरवरी, 2005